गाँधी मैदान, पटना में ''ऊलेन मेला'' (माह अक्टूबर–2024 से जनवरी–2025) के आयोजन हेतु भू–भाग आवंटित किये जाने से संबंधित नियम एवं शर्तें (Terms & Conditions) :–

गाँधी मैदान, पटना के गेट नं० 7 के निकट **निर्धारित 18,200 वर्गफीट (130ft×140ft) भू–भाग** के कुल छः (06) भू–खण्ड (गेट नं० 7 से 6 की ओर भू–खण्ड A, C, E एवं गेट नं० 7 से 8 की ओर भू–खण्ड B, D, F) में **''ऊलेन मेला''** के व्यावसायिक आयोजन निमित्त रावण वध समारोह–2024 के पश्चात् **आरक्षण योग्य देय संभावित तिथि दिनांक 20.10.2024 से अंतिम तिथि दिनांक 08.01.2025 (कुल 81 दिन) तक** उक्त भू–भाग के आरक्षण हेतु **दिनांक 08.10.2024 को अपराह्न 02.00 बजे डाक बोली प्रक्रिया के माध्यम से उच्चतम डाकवक्ता का चयन किया जाना है।** अतएव इच्छुक आयोजकों को उक्त डाक प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अपनी संस्था के Letter Pad पर आवेदन के साथ उक्त मेला से संबंधित वांछित दस्तावेज (डिमांड ड्रॉफ्ट सहित) को श्री कृष्ण स्मारक विकास समिति, आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमण्डल, पटना में **दिनांक 27.09.2024 से अंतिम तिथि दिनांक 07.10.2024 के अपराह्न 05:00 बजे तक जमा कर सकते हैं।**

1. गाँधी मैदान, पटना के गेट नं० 7 के दायीं एवं बायीं ओर ऊलेन मेला हेतु 18,200 वर्गफीट भू–भाग आकार के **कुल 06 भू–खण्डों** (130'x140') यथा भू–खण्ड A, B, C, D, E एवं F का आवंटन **डाक प्रकिया** के माध्यम से भू–खण्डवार उच्चतम डाकवक्ता का चयन कर भू–भाग का आवंटन horizontal रूप से किया जायेगा, एक भू–खण्ड से दूसरे भू–खण्ड के बीच की दूरी 20 फीट निर्धारित होगी, जिसका उपयोग आयोजक व्यावसायिक रुप से नहीं करेंगे एवं न ही किसी प्रकार की कोई सामग्री आदि को रखेंगे **(अनुमोदित नजरी नक्शा संलग्न)**।

2. गाँधी मैदान, पटना में ऊलेन मेला के आयोजन हेतु एक आयोजक 18,200 वर्गफीट भू–भाग के **अधिकतम 06 भूखण्ड** के आरक्षण हेतु आवेदन कर पायेंगे।

3. आयोजक/संस्था को अपने–अपने आवेदन में **भू–खण्ड की संख्या** एवं **Particular भू–खण्ड का नाम** स्पष्ट रूप से उल्लेखित करना अनिवार्य है। जिस आयोजक द्वारा जितने भू–खण्डों की संख्या एवं जिस–जिस Particular भू–खण्डों के लिए आवेदन समर्पित किया जायेगा, वे उसी भू–खण्ड के डाक प्रक्रिया में बोली हेतु भाग लेने के लिए अहर्त (Eligible) होंगे अथवा इस संबंध में डाक कमिटी का जो भी निर्णय होगा, वो अंतिम रूप से मान्य होगा।

4. आयोजक को उनकी संस्था के Letter Head पर समर्पित किये जाने वाले आवेदन के साथ निम्नांकित दस्तावेज/बैंक ड्रॉफ्ट समर्पित करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनके आवेदन पर **कोई विचार नहीं** किया जायेगा :–

(क.) **निबंधन शुल्क** के रुप में 500/– रु० का **डिमांड ड्रॉफ्ट** 'SRI KRISHNA SMARAK VIKAS SAMITI' के पक्ष में, जो **Non-refundable** होगा।

(ख.) संस्था/फर्म के प्रोपराईटर का AADHAR, वैध आवासीय प्रमाण–पत्र एवं संबंधित वरीय पुलिस अधीक्षक/संबंधित पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्राप्त वैध आचरण प्रमाण–पत्र की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति। *संस्था/फर्म के एक से अधिक प्रोपराईटर/पार्टनरशिप होने की स्थिति में सम्मलित व्यक्ति का आधार, आवासीय प्रमाण–पत्र एवं आचरण प्रमाण–पत्र की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति।*

(ग.) संस्था/फर्म का PAN, GST निबंधन की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति।

(घ.) ऊलेन मेला हेतु 18,200 वर्गफीट भू–भाग के **01 भू–खण्ड** के आरक्षण हेतु सुरक्षित राशि **(Reserved amount)** के रूप में **मो० 22,12,836/– रू० का बैंक ड्रॉफ्ट** ''SRI KRISHNA SMARAK VIKAS SAMITI'' के पक्ष में जमा करनी होगी। एक से अधिक भू–खण्डों के लिए सुरक्षित राशि **(Reserved amount) मो० 22,12,836/– रू०** के **गुणक** में **बैंक ड्रॉफ्ट,** आवेदन के साथ जमा करना अनिवार्य होगा (उदाहरण के लिए यदि किसी आयोजक द्वारा 03 भू–खण्ड के लिए आवेदन दिया जाता है तो उन्हें सुरक्षित राशि (Reserved amount) के रूप में **(22,12,836 रू०) × 3 भू–खण्ड अर्थात् कुल राशि 66,38,508/– रू०** को **बैंक ड्रॉफ्ट** ''SRI KRISHNA SMARAK VIKAS SAMITI'' के पक्ष में जमा करनी होगी)।

(ड.) सुरक्षित जमा राशि (Reserved amount) हेतु जमा किये जाने वाले बैंक ड्रॉफ्ट पर आवेदनकर्ता संस्था/प्रॉपराईटर का नाम अंकित होना अनिवार्य होगा, अन्यथा कार्यालय द्वारा **बैंक ड्रॉफ्ट की प्राप्ति स्वीकार नहीं की जायेगी।**

5. जिस आयोजक द्वारा विषयांकित मेला से संबंधित आवेदन समर्पित किया जा चुका है, उन्हें यह अवसर होगा कि अपने आवेदन में उल्लेखित भू–खण्डों के अतिरिक्त यदि किसी अन्य भू–खण्ड के डाक बोली में भाग लेने के लिए इच्छुक हो तो डाक बोली के पूर्व **स्वघोषणा पत्र** के साथ सुरक्षित राशि **(Reserved amount) मो० 22,12,836/– रू०** का **बैंक ड्रॉफ्ट** ''SRI KRISHNA SMARAK VIKAS SAMITI'' के पक्ष में जमा करनी होगी। एक से अधिक भू–खण्डों की डाक बोली के लिए सुरक्षित राशि (Reserved amount) मो० 22,12,836/– रू० के **गुणक** में **बैंक ड्रॉफ्ट जमा करना अनिवार्य है।**

6. ऊलेन मेले हेतु निर्धारित **सुरक्षित जमा राशि** (reserve amount) का बैक ड्रॉफ्ट जमा किये जाने उपरांत डाक प्रकिया के माध्यम से अहर्ता रखने वाले आयोजकों के बीच **सुरक्षित जमा राशि** (reserve amount) के उपर **अधिकतम बोली (H1)** लगाने वाले **आयोजक** का चयन **भू–खण्डवार** (यथा भू–खण्ड– A, B, C, D, E एवं F) किया जायेगा।

7. उच्चतम डाक बोली राशि में शेष अंतर राशि बैंक ड्रॉफ्ट/RTGS/NEFT के माध्यम से जमा किये जाने हेतु **अधिकतम पाँच (05) कार्यदिवस** का समय (सार्वजनिक अवकाश/बैंक अवकाश को छोड़कर) दिया जायेगा।

8. ऊलेन मेले हेतु उच्चतम डाक बोली राशि में से शेष अंतर राशि जमा कराने एवं जिला नियंत्रण कक्ष, पटना से **अनापत्ति प्रमाण–पत्र (NOC)** प्राप्त होने के उपरांत ही आयोजक को आरक्षण आदेश निर्गत किया जायेगा अथवा इस संबंध में डाक कमिटी की जो भी अनुशंसा होगी, उसके अनुसार भू–भाग आवंटित किया जायेगा।

9. **ऊलेन मेला में आमजनों के सुलभ आवागमन एवं भीड़भाड़ के प्रबंधन के दृष्टिगत निःशुल्क वाहन की पार्किंग की व्यवस्था Volunteer रखकर आयोजक अपने स्तर से कराना सुनिश्चित करेंगे।**

10. चयनित उच्चतम डाक वक्ता आयोजकों को ऊलेन मेले संबंधी अस्थायी संरचना निर्माण एवं आयोजन पश्चात् मेला संबंधी अस्थायी संरचना निर्माण को हटाये जाने हेतु आरक्षण आदेश में वर्णित अवधि अंतर्गत ही करना होगा।

11. आयोजक द्वारा आरक्षण आदेश में निर्धारित समयावधि में ऊलेन मेला के आयोजन पश्चात् मेला संबंधी अस्थायी संरचना/सामान आदि को आवंटित भू–भाग से नहीं हटाया जाता है, तो आरक्षण आदेश में वर्णित प्रावधान अनुसार संबंधित आयोजक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

12. डाक प्रकिया में भाग लेने वाले अन्य आयोजकों द्वारा जमा की गयी सुरक्षित जमा राशि (reserve amount) का बैंक ड्रॉफ्ट उच्चतम डाकवक्ता (H1) आयोजक के चयनोपरांत उनके संस्था के Letter Head पर आवेदन के साथ सम्बद्ध संस्था प्रोपराईटर/प्रतिनिधि के ID Proof की छायाप्रति कार्यालय में प्राप्त कर लौटा दिया जायेगा।

13. निर्धारित अवधि में परिवर्तन/अवधि विस्तार करने हेतु अधोहस्ताक्षरी के पास अधिकार सुरक्षित रहेगा।

14. लोकहित/जनहित एवं किसी भी अन्य कारणों तथा किसी भी प्रकार के सरकारी कार्यक्रम होने की स्थिति में आरक्षण/निविदा/डाक को रद्द करने का अधिकार आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना–सह–अध्यक्ष, श्री कृष्ण स्मारक विकास समिति को सुरक्षित रहेगा।

ह०/–
जिला पदाधिकारी, पटना–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
श्री कृष्ण स्मारक विकास समिति, पटना।